

कार्यालय आयुक्त, भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश
(220, राजस्व राहत भवन, अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.), पिन कोड:- 462027)
(e-Mail : clrgwa@nic.in, mp-lrs@mp.gov.in)

क्रमांक/MPLRS/DCS/Kharif_2026-27/2513
प्रति,

भोपाल, दिनांक- 17/07/2026

कलेक्टर,
समस्त जिला,
मध्यप्रदेश,

विषय -डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम खरीफ 2026-27 हेतु।

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार फसल गिरदावरी का कार्य वर्ष में 03 बार (मौसम खरीफ/रबी/जायद) में सारा एप के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जिसका उपयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि योजनाओं में सतत् रूप से किया जा रहा है। फसल गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार जियो फेंस (पार्सल लेवल) तकनीक के माध्यम से खेत में बोई गई फसल का फोटो खींचकर फसल सर्वेक्षण का कार्य नियत अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। उक्त कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार निर्देशों का अनुसरण किया जाए :-

1. किसान द्वारा एमपी किसान एप के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे -
 1. एमपी किसान एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के उपरांत मोबाईल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है।
 2. एमपी किसान एप के माध्यम से फसल स्व-घोषणा की जानकारी जियो फेंस तकनीक के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर दर्ज की जा सकेगी एवं पूर्व से दर्ज फसल के विरुद्ध दावा/आपत्ति की जानकारी भी एमपी किसान एप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।
 3. फार्मर रजिस्ट्री में उपलब्ध मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आवश्यक जानकारी की सूचना प्रेषित की जाएगी।
2. स्थानीय युवा (सर्वेयर) पंजीयन एवं प्रशिक्षण -आवृत्ति ग्राम हेतु एक या एक से अधिक स्थानीय युवा (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) का पंजीयन MPBHULEKH पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु कराया जाएगा जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं उसके पास मोबाईल फोन (Android वर्जन 9+) मय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम के स्थानीय युवा, ग्राम में उपर्युक्त स्थानीय युवा न होने पर ग्राम पंचायत

में निवासरत स्थानीय युवा, ग्राम पंचायत में उपर्युक्त स्थानीय युवा न होने पर निकटतम ग्राम पंचायत में निवासरत स्थानीय युवा का पंजीयन कराया जाएगा। स्थानीय युवा के चिन्हांकन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण देने का कार्य राजस्व निरीक्षक वृत्त स्तर पर संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जायेगा। संबंधित पटवारी द्वारा भी सर्वेयर को फसल सर्वे के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा एवं स्थानीय युवा उपलब्ध न होने पर स्वयं डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य पूर्ण किया जाएगा।

3. पोर्टल पर पंजीयन, ग्राम आवंटन एवं सत्यापन-

1. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के तहत स्थानीय युवा को सर्वेयर एवं पटवारी को सुपरवाईजर रोल के तहत नियत कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
2. सर्वेयर का पंजीयन एवं ग्राम आवंटन (प्रत्येक स्थानीय युवा को एक मौसम के अंतराल में कार्य सौंपा जाए (पत्र क्रमांक 2182/MPLRS/DCS/2026 दिनांक 29/04/2026) का कार्य MPBHULEKH पोर्टल पर किया जाएगा, तदोपरांत उपरांत सर्वेयर, सारा एप में ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकेगा।
3. सैटेलाइट इमेज अनुसार सर्वे नंबर में संभावित कुछ फसल / पड़त भूमि का डाटा सुपरवाईजर(पटवारी) को सारा एप में पूर्व से भरा हुआ उपलब्ध होगा। जिसका सत्यापन सुपरवाईजर द्वारा खेत की सीमा से 100 मीटर के दायरे में रहकर किया जा सकता है। इस प्रकार के सत्यापन में फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं होगी, क्लिक के माध्यम से डाटा का सत्यापन किया जा सकेगा केवल फसल प्रकार, सिचाई आदि की जानकारी भरना होगी। यह डाटा स्थानीय युवा को सर्वे हेतु उपलब्ध नहीं होगा। सैटेलाइट इमेज अनुसार प्रदत्त डाटा से भिन्न स्थिति होने पर जियो फेंस के माध्यम से नियत प्रक्रिया अनुसार जानकारी अद्यतन की जाएगी।
4. सर्वेयर लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम/सर्वे नंबर का डाटा डाउनलोड कर सर्वेक्षण का डाटा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड कर सकेगा। फसल की जानकारी एवं निजी पड़त भूमि हेतु जियो फेंस सहित अनुमत फोटो (जिससे फसल आदि की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित हो एवं किसी फोटो से फोटो न लिया गया हो) लेना अनिवार्य होगा।
5. नियत उद्यानिकी फसलों हेतु जैसे आम आदि की जानकारी पेड़ द्वारा आच्छादित भूमि अनुसार रकबा की जानकारी एवं वृक्ष संख्या दर्ज की जाएगी एवं पेड़ के

आच्छादित क्षेत्र के नीचे मौसमी फसल की जानकारी भी दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार खसरा के रकवा से अधिक फसल की जानकारी नियत सीमा अनुसार दर्ज की जा सकेगी।

6. ग्राम में एक से अधिक सर्वेयर होने पर कार्य विभाजन पटवारी द्वारा समन्वय कर किया जाएगा एवं ध्यान रखा जावेगा कि एक बार में 1000 सर्वे नंबर की अधिकतम सीमा अनुसार सर्वेयर को सर्वे नंबर आवंटित किए जायें।
7. प्राप्त इनपुट डाटा (किसान गिरदावरी/सैटेलाइट इमेज अनुसार संभावित फसल जानकारी/फोटो एनालिसिस आदि) अनुसार फसल विसंगति की जानकारी प्राप्त की जाएगी।
8. स्थानीय युवा द्वारा भरी गई जानकारी एवं इनपुट डाटा में प्राप्त जानकारी (फसल का नाम, बोया गया रकवा समान होने पर सुपरवाईजर का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा, यह सिस्टम द्वारा अनुमोदित होगी।
9. सर्वेयर द्वारा डाटा अपलोड करने के बाद विसंगति डाटा सुपरवाईजर (पटवारी) को सारा एप/पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें पटवारी खसरे में उपलब्ध फसल एवं फोटो का अवलोकन कर जानकारी को अनुमोदित कर सकेगा एवं आवश्यक होने पर कारण अंकित कर पुनः परीक्षण हेतु सर्वेयर को भेज सकेगा।
10. पुनः परीक्षण हेतु भेजने के उपरांत यह डाटा सर्वेयर को सारा एप में उपलब्ध होगा, जिसकी जानकारी सर्वेयर द्वारा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से खेत में प्रत्येक फसल का फोटो लेकर अपलोड की जायेगी।
11. सर्वेयर से पुनः प्राप्त जानकारी का सारा एप/पोर्टल पर सुपरवाईजर द्वारा अवलोकन उपरांत अनुमोदन किया जा सकेगा परंतु सुपरवाईजर द्वारा द्वितीय समय पर जानकारी को पुनः परीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकेगी एवं आवश्यक होने पर सुपरवाईजर द्वारा पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से जानकारी अद्यतन करना होगी।
12. सर्वेयर उपलब्ध न होने अथवा सर्वेयर के कार्य न करने पर डिजिटल क्लॉप सर्वेक्षण कार्य पटवारी द्वारा सारा एप के माध्यम से स्वयं किया जाएगा (पटवारी द्वारा दर्ज फसल गिरदावरी की जानकारी सुपरवाईजर हेतु स्वतः अनुमोदित होगी)।
13. विसंगति डाटा में से 01 प्रतिशत डाटा का सत्यापन/अनुमोदन पटवारी द्वारा स्वयं खेत में जाकर पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से किया जाएगा।

14. फसल सर्वे की जानकारी के अनुमोदन उपरांत केवल विसंगति डाटा में से चयनित प्रत्येक ग्राम के 01 प्रतिशत सर्वे नंबर की जानकारी का सत्यापन संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार (वैरीफायर) द्वारा सारा एप/पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। आवश्यक होने पर जानकारी को पुनः परीक्षण हेतु सुपरवाइजर को कारण अंकित कर भेजा जा सकता है, जिसमें सुपरवाइजर द्वारा पुनः उक्त जानकारी को पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से फसल का फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा।
15. सुपरवाइजर से पुनः अद्यतन जानकारी प्राप्त होने पर वैरीफायर द्वारा उक्त जानकारी का अनुमोदन किया जाएगा, परंतु द्वितीय समय पुनः परीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकेगा। आवश्यक होने पर स्वयं सारा एप के माध्यम से वैरीफायर द्वारा जियो फेंस तकनीक से क्लॉप सर्वे की जानकारी अद्यतन की जाएगी।

4. जाँचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति एवं जाँच की प्रक्रिया-

1. सुपरवाइजर द्वारा अनुमोदित जानकारी की जांच हेतु प्रत्येक वर्ष/मौसम हेतु 20 प्रतिशत ग्रामों का चयन सिस्टम द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष/मौसम हेतु ग्रामों का चयन करते हुए आगामी 05 वर्ष में शत-प्रतिशत ग्रामों का जांच कार्य पूर्ण किया जाएगा। जांच कार्य हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार को छोड़कर राजस्व/ अन्य विभाग (कृषि, उद्यानिकी आदि) के अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा स्वविवेक से नियुक्त किया जाएगा।
2. जांचकर्ता यूजर की जानकारी को सारा पोर्टल के माध्यम से अद्यतन किया जाएगा, जिन्हें ग्राम आवंटन का कार्य सारा पोर्टल पर संबंधित जिले के तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन लॉगिन के माध्यम से किया जाएगा।
3. आवंटित ग्राम में 01 प्रतिशत या ग्राम के कम से कम 10 निजी सर्वे नंबर (यथासंभव विसंगति डाटा में से चयनित) जो अधिक हो, सिस्टम द्वारा आवंटित किए जायेंगे।
4. जांचकर्ता द्वारा सारा एप में लॉगिन करने के उपरांत आवंटित ग्राम/सर्वे नंबर की जांच की जाएगी, सहमत होने पर फसल का फोटो खींचकर जानकारी अपलोड की जाएगी एवं असहमत होने पर जियो फेंस के माध्यम से फसल के फोटो सहित जानकारी अपलोड की जाएगी।

5. जांचकर्ता द्वारा अपलोड की गई जानकारी सारा पोर्टल पर संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार के लॉगिन में उपलब्ध होगी, जिसका निराकरण जानकारी का अवलोकन/आवश्यक जांच उपरांत किया जाएगा।

5. प्रचार- प्रसार -

1. सुपरवाईजर के अनुमोदन उपरांत ग्रामवार सर्वे की जानकारी पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत/निकाय के नोटिसबोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
2. फसल सर्वेक्षण में किसानों की सहभागिता हेतु किसानों को प्रेरित किया जाए।
3. एमपी किसान मोबाईल एप में पुश नोटिफिकेशन के संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाये।
4. स्थानीय युवा/पटवारी द्वारा सर्वे पूर्ण करने पर अनुमोदित जानकारी फार्मर रजिस्ट्री से पंजीकृत मोबाईल नंबर प्राप्त कर खातावार एसएमएस किसानों को प्रेषित किया जाएगा।
6. सुपरवाईजर द्वारा जानकारी अनुमोदन करने पर खेत में फसल की जानकारी का अवलोकन एमपी किसान एप के माध्यम से किसान द्वारा किया जा सकेगा एवं असहमति की दशा में अद्यतन जानकारी पार्सल लेवल जियो फेंस के माध्यम से फसल के फोटो सहित दावा/आपत्ति निराकरण हेतु अपलोड की जाएगी।
7. एमपी किसान एप के माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा आवश्यक जांच उपरांत किया जाएगा।
8. नियत तिथि उपरांत डाटा को लॉक कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
9. इस प्रकार निम्न समय-सीमा में डिजिटल क्रॉप सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी :-

समय सरणी

बिन्दु	दिनांक से	दिनांक तक
सर्वेयर पंजीयन		(कार्यपूर्णता तक)
समस्त प्रशिक्षण		05/08/2026
किसान गिरदावरी	10/08/2026	30/09/2026
सर्वेयर क्रॉप सर्वे	10/08/2026	30/09/2026
सुपरवाईजर सत्यापन		05/10/2026
किसान दावा/आपत्ति		10/10/2026
दावा/आपत्ति निराकरण		15/10/2026
वैरीफायर अनुमोदन		15/10/2026

डिजिटल क्रॉप सर्वे जांच कार्य		10/10/2026
जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन		15/10/2026
अंतिम डाटा भूलेख पोर्टल पर अद्यतन		20/10/2026

10. राशि भुगतान - स्थानीय युवा को फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर प्रथम फसल/निजी पडत भूमि हेतु राशि रुपये 08/- (आठ रुपये) एवं प्रत्येक अतिरिक्त दर्ज फसल/निजी पडत भूमि हेतु राशि रुपये 02/- (दो रुपये), इस प्रकार प्रति सर्वे नंबर अधिकतम राशि रुपये 14/- (चौदह रुपये) देय होगी। मास्टर ट्रेनर (राज्य/जिला/तहसील) हेतु प्रति मास्टर ट्रेनर राशि रुपये 1000/- का प्रावधान है। जिला/तहसील के मास्टर की जानकारी का सत्यापन तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे से भुगतान की कार्यवाही तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन (संबंधित तहसील में पदस्थ) द्वारा SNA SPARSH के माध्यम से की जाएगी।
11. जांच अधिकारी/तहसीलदार द्वारा सर्वेयर की जानबूझकर की गई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व से पंजीकृत स्थानीय युवा अथवा नवीन पंजीयन कर नियत ग्राम/सर्वे नंबर का कार्य कराया जा सकेगा।

(अजय देव शर्मा)

आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/MPLRS/DCS/Kharif_2026-27/2514

भोपाल, दिनांक- 17/07/2026

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
3. सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
5. संचालक, उद्यानिकी विभाग, भोपाल।
6. प्रबंध निदेशक, MPSeDC, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी, भूलेख पोर्टल, MPLRS, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. तहसीलदार, भू-संसाधन प्रबंधन, तहसील समस्त, मध्यप्रदेश।

आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन
मध्य प्रदेश